फर्द अहकाम

य उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

शिशुपाल बनाम राजेन्द्र वगै

: 55 /2019

संख्या / वर्ष

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 3 व वकील अप्रार्थी पर्याप्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act ~~के तहत~~ पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रा० पत्र 212 RT Act में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम मकसूदनपुरा पटवार हल्का बुज तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) के आराजी ख०नं० 75 रकबा 0.9200, ख०नं० 86 रकबा 0.1100 हैक्टे० भूमि है जिसके प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार है जिसका विधिक तकासमा नहीं हुआ है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है अप्रार्थीगण उक्त बिना बटी भूमि का बेचान करने पर आमदा है अप्रार्थीगण अधिक भूमि पर कब्जा करने पर आमदा है जबकि प्रार्थी का प्रत्येक इन्च पर सहखातेदार होने से कानूनन कब्जा है जिसका बिना तकासमा कराये अप्रार्थीगण बेचान नहीं कर सकते ना ही कच्चा पक्का निर्माण कर सकते। अप्रार्थी नं० 1 व 2 अप्रार्थी नं० 3 से ऋण लिया हुआ है प्रार्थी	

(विश्वामित्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

शिशुपाल बनाम राजेन्द्र वगै०

मुकदमा संख्या / वर्ष : 44 / 2019

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		ने अप्रार्थी से कोई रुपया नहीं लिया है प्रार्थी का हिस्सा गलत रूप से आरक्षण करवा रखा है जिससे अप्रार्थी न० 3 भूमि को नीलामी व अन्तरण करने पर आमदा है जबकि बिना बट्टी भूमि का अप्रार्थी स० 3 को नीलाम व अन्तरण करने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी गण को तकासमा कराने को कहा तो स्पष्ट मना करते है इसलिये जब तक विवादित भूमि का तकासमा नहीं हो जाता तब तक प्रा०पत्र 212 रा० नि० को मुकदमे के ता फैसला तक कन्फर्म किया जावे। अप्रार्थी स० 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रस्तुत जवाब के कथनों की ताईद करते हुए कहा कि उक्त सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी स० 3 को रहन रखी हुई है प्रार्थी ने बैंक से ऋण अदायगी नहीं की तथा बैंक ने अपना ऋण राशि की वसूली हेतु उक्त भूमि को कुर्क व नीलाम कार्यवाही कर दी गई है जिसकी जानकारी प्रार्थी को भली भांति है इस लिए उक्त ऋण वसूली की कार्यवाही से बचने के लिये प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश रखा है। उक्त विवादित भूमि बन्धक शुदा भूमि है जिसका

विश्वामित्र मी
उपखण्ड अधि
जमवाराम

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

शिशुपाल बनाम राजेन्द्र

मुकदमा संख्या / वर्ष : 44 / 2019

क्र॰सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		तकासमा कराने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act को खारिज किया जावे। उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि सम्पूर्ण अप्रार्थी सं0 3 के रहन रखी हुई है बैंक में रहन रहते प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा (अन्तर्गत धारा 212 RT Act) प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इसलिये अतीत अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 3/5/2019 को खारिज किया जाना न्यायोचित समझते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 3/5/2019 को खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.01.15 12:39:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: